न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री कैलाशचन्द मीना RAS

प्रकरण संख्या:- 45/2017

दायर दिनांक :- 13.12.2017

दौलतसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

-- प्रार्थी

-बनाम-

1. स्टैट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तंगत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थित:-

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक-प्रार्थी
2. स्टैट जरिये पैरोपकार राज-अप्रार्थी

निर्णय दिनांक :-13.12.2017

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 328 तादादी 6.0200 हैक्टेयर, रोही श्रीडूंगरगढ़ खसरा नम्बर 381 तादादी 7.1300 हैक्टेयर रोही बेनीसर में अवस्थित हैं। उक्त खेत प्रार्थी के विरासतन के है उक्त खेतों में प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 328 तादादी 6.0200 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम लालसिंह पुत्र किसनसिंह एवं खसरा नम्बर 381 तादादी 7.1300 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम लालसिंह पुत्र किशनसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम दौलतसिंह पुत्र किशनसिंह है। जो प्रार्थी के राशनकार्ड, आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविग लाइसेन्स, एवं पेनकार्ड में दर्ज है। उक्त खेतों पर प्रार्थी का का कब्जा-काश्त एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपने खेत में बैंक से केसीसी बनाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकले पटवारी से निकलवाई तो पता चला कि प्रार्थी का का नाम राजस्व रिकार्ड में लालसिंह पुत्र किशनसिह दर्ज है प्रार्थी के नाम में फर्क है तो प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम सही करके पहचान पत्र के अनुसार नाम दर्ज करने के लिए निवेदन किया तो अप्रार्थी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। प्रार्थी के खेतों के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लालसिंह पुत्र किशनसिंह दर्ज है एवं प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजो में दौलतसिंह पूत्र किशनसिंह दर्ज है। जिनमें नामों में भिन्नता होने के कारण के कारण प्रार्थी के खेत की केसीसी नही हो रही है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, लाईसेन्स एवं वोटरकार्ड में नाम दौलतसिंह पुत्र किशनसिह दर्ज है यही प्रार्थी का सही नाम है। प्रार्थी अपने खेतों के रिकार्ड में गलत लिपिकीय भूल से दर्ज नाम को सही करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के नाम से संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 328 तादादी 6.0200 हैक्टेयर, रोही श्रीडूंगरगढ़ खसरा नम्बर 381 तादादी 7.1300 हैक्टेयर रोही बेनीसर में प्रार्थी का सही नाम दौलतसिंह पुत्र किशनसिंह दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को देने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के नाम से खसरा नम्बर 328 तादादी 6.0200 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ एवं खसरा नम्बर 381 तादादी 7.3100 हैक्टेयर रोही बेनीसर में नाम लालसिंह दर्ज है एवं प्रार्थी के अन्य सलग्न दस्तावेजात आधार कार्ड, ड्राईविग लाइसेन्स, पेनकार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में नाम दौलतसिंह दर्ज है। अप्रार्थी ने अपने जबाव में बताया है कि पटवारी हल्का बेनीसर एवं श्रीडूंगरगढ़ की रिर्पोट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में लालसिंह दर्ज है एवं पहचान के दस्तावेजो में दौलतसिंह दर्ज है जिसको न्यायालय के आदेश से ही दुरूस्त किया जा सकता है। जबाब अप्रार्थी के अनुसार प्रार्थी के अपने पहचान के दस्तावेजात में दौलतसिंह नाम दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दौलतसिंह दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का नाम दौलतसिंह दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः खसरा नम्बर 328 तादादी 6.02 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ एवं खसरा नम्बर 381 तादादी 7.13 हैक्टेयर रोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी का नाम लालसिंह पुत्र किसनसिंह के स्थान पर दौलतसिंह पुत्र किशनसिंह दर्ज करने का आदेश किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के.सी. मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ जिला-बीकानेर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)